भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †2813
दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं के लिए निधि आवंटन

†2813. श्री कीर्ति आज़ादः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच केन्द्रीय बजटों में से प्रत्येक के दौरान पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति द्वारा यथा नोट किए गए आवंटन में पाई गई गिरावट के कारणों की समीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर प्रति पंचायत औसत स्व-सोत राजस्व (ओएसआर) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्तमान ओएसआर स्तरों का आकलन स्थानीय विकास और राजकोषीय स्वायत्तता का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि पश्चिम बंगाल, केरल और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने अपेक्षाकृत उच्च ओएसार और सुदृढ़ स्थानीय शासन कार्य-निष्पादन की सूचना दी है और यदि हां, तो क्या ऐसे मॉडलों को दोहराने पर विचार किया जा रहा है; और

(च) पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता और सेवा परिदान में सुधार लाने के लिए राजकोषीय अंतरण को सुदृढ़ करने, अबद्ध और कार्य-निष्पादन से जुड़े अंतरण में वृद्धि करने और उनकी क्षमता निर्माण में सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) पिछले पांच केंद्रीय बजटों के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों को वर्षवार आवंटित धनराशि इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**वित्तीय वर्ष बजट अनुमान**
2020-21	69,224.79
2021-22	44,901.00
2022-23	46,513.00
2023-24	47,018.00
2024-25	49,800.00

2020-21 के बाद से ग्रामीण स्थानीय निकायों को आवंटित धनराशि में लगातार वृद्धि हुई है।

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर प्रति पंचायत के औसत स्वयं के राजस्व स्रोतों (ओएसआर) का विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। हालांकि, 16वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए संकलित ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) द्वारा सृजित ओएसआर का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ) रिपोर्ट के पैरा संख्या 10.50 में, 16वें वित्त आयोग ने अवलोकन किया कि अधिकांश स्थानीय निकायों द्वारा सृजित स्वयं के संसाधन काफी कम हैं। वे अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर, यदि पूरी तरह नहीं तो, काफी हद तक निर्भर रहते हैं। पैरा संख्या 10.51 में, आयोग ने आगे यह भी उल्लेख किया कि क्रमिक वित्त आयोगों ने कहा है कि स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय संसाधनों के प्रावधान की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

(ड) पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन/सर्वेक्षण रिपोर्ट साझा करता है, जिनमें पंचायतों के हस्तांतरण की स्थिति और पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) के स्कोर शामिल हैं। ये तुलनात्मक चित्र कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रेरणा का मुख्य स्रोत हैं, जिससे उन्हें अपनी स्थिति में सुधार करने में मदद मिलती है। साथ ही, पुरस्कार विजेता पंचायतों की श्रेष्ठ पद्यतियों को विभिन्न माध्यमों से प्रसारित किया जाता है, ताकि कम प्रदर्शन करने वाली पंचायतें उन्हें अपनाकर अपनी स्थिति में सुधार कर सकें। पश्चिम बंगाल राज्य ने पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) अभ्यास में भाग नहीं लिया है और न ही उसे ओएसआर पर कोई राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

(च) पंचायत राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह अपने संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार अपनी पंचायतों को वित्तीय शक्तियां हस्तांतरित करे। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सुदृढ़ीकरण और कुशल कामकाज की दिशा में अपनी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता सहित राज्य सरकारों के प्रयासों को निरंतर आधार पर पूरा करती है ओर उन्हे सहायता प्रदान करती है। मंत्रालय राज्यों को अधिक से अधिक शक्तियां सौंपने की सलाह दे रहा है ताकि उन्हें सभी मामलों में आत्मनिर्भर बनाया जा सके, विशेष रूप से वित्तीय शक्ति के हस्तांतरण के माध्यम से राजस्व के अपने स्रोतों (ओएसआर) का सृजन किया जा सके। पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता और तकनीकी सहायता को मजबूत करने के उद्देश्य से, ताकि वे स्थानीय विकास परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर सकें, वित्त आयोग के सभी अनुदान राज्यों द्वारा सीधे पंचायतों के खातों में जमा किए जाते हैं। मंत्रालय समय समय पर पंचायत हस्तांतरण सूचकांक (पीडीआई) जैसे अध्ययन करता है, जो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पंचायतों को निधि, कार्यों और कार्यप्रणाली के क्षेत्रों में हस्तांतरित शक्तियों की स्थिति की समीक्षा करता है, ताकि राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके और पंचायतों को अधिकाधिक शक्तियां हस्तांतरित की जा सकें।

मंत्रालय ने सोलहवें वित्त आयोग (एसएफसी) को अपने ज्ञापन के माध्यम से आरएलबी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्हें अधिक आवंटन की सिफारिश की थी, जिसके परिणामस्वरूप एसएफसी ने आरएलबी के लिए कुल ₹4,35,236 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है, जो पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत किए गए आवंटन की तुलना में लगभग 84% ज्यादा है। इसके अलावा, एसएफसी ने सभी स्तरों की पंचायतों को ओएसआर सृजन के प्रदर्शन से जुड़े अनुदान देने की सिफारिश की है। साथ ही, आयोग ने राज्यों को भी प्रदर्शन अनुदान देने की सिफारिश की है, बशर्ते वे अपने संसाधनों से आरएलबी को धन हस्तांतरित करें। इन सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

मंत्रालय वित्तीय स्वायत्ता और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए स्वयं के राजस्व स्रोतों को जुटाने और सेवा प्रदायगी की क्षमता पर उचित जोर देने के साथ विभिन्न क्षेत्रों में पीआरआई की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके लिए मंत्रालय संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान और अब तक, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके पदाधिकारियों की संचयी संख्या लगभग 1.54 करोड़ को प्रशिक्षण दिया गया है। मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए आईएम अहमदाबाद के सहयोग से स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) के सृजन पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है। यह मॉड्यूल निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों को कर और गैर-कर स्रोतों के माध्यम से ओएसआर सृजन को समझने में सक्षम बनाता है। अब तक, ओएसआर के तहत 2,39,943 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

***

अनुलग्नक

पंचायती राज संस्थाओं के लिए आवंटित निधि के संबंध में लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2813 जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा सृजित स्वयं के राजस्व स्रोतों का राज्यवार विवरण

(₹ करोड़ में)

राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आंध्र प्रदेश	1,536.75	1,413.05	1,385.19	1,712.05	1,315.01
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	42.08	81.03	35.95	42.22	44.79
बिहार	53.50	53.50	53.11	52.45	55.39
छत्तीसगढ़	71.86	50.49	58.32	78.01	89.46
गोवा	53.18	52.24	67.91	85.26	96.60
गुजरात	348.61	325.38	363.87	347.90	435.70
हरियाणा	480.43	353.36	634.04	691.67	1,104.85
हिमाचल प्रदेश	124.66	154.94	141.27	163.71	157.18
कर्नाटक	1,891.00	2,106.08	3,156.80	2,415.74	2,792.42
केरल	816.71	821.43	1,674.10	1,831.82	2,330.09
मध्य प्रदेश	160.47	132.69	182.50	148.68	233.78
महाराष्ट्र	3,906.52	3,416.93	4,146.94	4,311.55	4,744.93
मणिपुर	0.39	0.51	0.24	0.18	0.08
ओडिशा	65.60	55.41	52.60	63.92	74.00
पंजाब	511.30	531.93	522.26	539.89	559.01
राजस्थान	99.54	109.50	120.44	132.49	145.74
सिक्किम	5.75	5.03	5.86	6.86	7.10
तमिलनाडु	855.74	1,152.64	1,396.31	1,520.67	1,195.81
तेलंगाना	487.19	481.09	546.52	521.65	514.91

त्रिपुरा	3.12	4.25	3.47	4.15	4.63
उत्तर प्रदेश	176.67	229.08	243.26	276.00	294.91
उत्तराखंड	41.63	37.96	151.15	57.96	56.17
पश्चिम बंगाल	1,503.68	987.12	1,138.06	1,104.68	1,029.48
कुल	**13,236.37**	**12,555.64**	**16,080.17**	**16,109.50**	**17,282.01**

स्रोत: सोलहवें वित्त आयोग के पोर्टल पर राज्यों द्वारा प्रदान किया गया डेटा (31 अगस्त 2025 तक)

नोट: झारखंड, मिजोरम और नागालैंड ने एनए (NA) रिपोर्ट किया है और मेघालय ने केवल एडीसी ओएसआर प्रदान किया है जिसे आरएलबी के ओएसआर से बाहर रखा गया है।